कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

"निर्वाचन तत्काल"

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर
कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510
E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2132 अशोकनगर, दिनांक 14 / 08 / 2018

–: लाईट, माईक निविदा सूचना :–

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं से संबंधित विषयांकित कार्य हेतु इच्छुक संस्था / व्यक्ति से लाईट, माईक कार्य के लियें निविदायें दिनांक 29 अगस्त 2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक निम्नांकित शर्तो पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें ::

1. निविदा सील बंद लिफाफें में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि रूपयें 20,000/– (बीस हजार रूपयें मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र / बैंक ड्राफ्ट रखकर उसमें धरोहर राशि लिखा जायेगा। द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र रखा जावें। प्रथम लिफाफे के सत्यापन के बाद ही द्वितीय लिफाफा ओपन किया जावेगा।
2. सफल निविदाकार को रू0 500.00 का स्टाम्प प्रस्तुत कर अनुबंध करना होगा।
3. निविदा में प्रति वस्तु प्रति दिन 24 घण्टे की दर से प्रथम–प्रथम किराया अंकित किया जावें।
4. निविदा सामग्री आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री की मांग का आदेश् प्राप्त होने पर सामग्री समयावधि में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
5. निविदा में स्वीकृति सामग्री निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना होगा। जिसका सत्यापन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से कराया जावेगा।
6. निविदाकार को आयकर का पेन नम्बर / टिन नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकार को लगाई गई ड्यूटी संबंधित अधिकारी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. निविदांदाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट / अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जावेगा, जिससे किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जावेगी।
10. निविदादाता किसी भी संस्था / कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहियें। यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।

Scanned by CamScanner

11. निविदादाता श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अन्तर्गत जीविज पंजीयनधारी होना चाहियें।
12. निविदादाता का GST में पंजीयन होना चाहियें।
13. निविदा स्वीकृत करते समय निविदादाता के कार्यानुभव का महत्व दिया जावेगा। इसमें यदि किसी अन्य से निविदा दरों में कोई अन्तर भी रहता है तो कर्यानुभव एवं निविदादाता की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
14. कलेक्टर द्वारा लियें गये निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में बाद नहीं लाया जा सकेगा।
15. किसी भी बाद विवाद में कलेक्टर अशोकनगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. निविदा/स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर को रहेगा, जिसके लियें किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

(डॉ.मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रं./सामा.निर्वा./2018/...2133......... अशोकनगर, दिनांक :– 14/08/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
3. आयुक्त, जन सम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अशोकनगर।
7. समस्त तहसीलदार जिला अशोकनगर।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला अशोकनगर।
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर।
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला अशोकनगर।
    क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर आम जनता के लियें चस्पा करायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. संबंधित फर्म/संस्था...

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner